

## अनुक्रमिका

1-2	संगठन की विधिः, कर्तव्य और कर्तव्य	संख्या 1
3	अधिकारियाँ और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	संख्या 2
4-5	विनियम करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पदबंधन और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	संख्या 3
6	कर्तव्य के निर्वाहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	संख्या 4
7.12	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	संख्या 5
13-16	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	संख्या 6
17	किस्ती व्यवस्था की विधिः या उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	संख्या 7
18	ऐसे बड़े परिषदों सम्मिलितों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्तित्व हैं, जिनका उसके भागस्वरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बड़े, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यक्रम तब जनता की पहुँच होंगी।	संख्या 8
19	अधिकारियाँ और कर्मचारियों की निर्देशिका	संख्या 9
20	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है	संख्या 10
21	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवित्तों पर रिपोर्टों की विधिः उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अधिकारियों को आवंटित बजट	संख्या 11
22	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की शैली जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	संख्या 12
23	अपने द्वारा अनुदत्त रियासतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राधिकारियों की विधिः	संख्या 13
24	किस्ती इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	संख्या 14
25	सूचना अभिप्राय करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विधिः जिनके अन्तर्गत किस्ती पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुसूचित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	संख्या 15
26	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विधिः	संख्या 16
27	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय	संख्या 17



होमगार्ड्स स्वयं-सेवक उपलब्ध है। लिनका विवरण निम्नानुसार है।  
 उनपद हरिद्वार में होमगार्ड्स स्वयं-सेवकों का 1030 स्वीकृत नियतन है जिसके साथ 967

कराने में अपना योगदान दे रहे हैं।  
 कमी है वहां पर होमगार्ड्स स्वयं-सेवक अपने दूरियों के माध्यम से राजकीय कार्यों को सम्पन्न  
 योगदान प्रदान कर रहे हैं। अन्य विभागों एवं प्रतियोगियों में जहां कामों एवं सुरक्षा व्यवस्था की  
 सेवक यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाये रखने में अपनी दूरियों के माध्यम से महत्वपूर्ण  
 व्यवस्था में भी होमगार्ड्स अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। विभिन्न शहरों में होमगार्ड्स स्वयं  
 प्रशासन को विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में विधान सभा एवं सचिवालय की सुरक्षा  
 पर्वतीय अंचलों में राजस्व पुलिस के साथ भी होमगार्ड्स स्वयं-सेवक शामिल व्यवस्था बनाये रखने में  
 अपनी दूरियों के माध्यम से शामिल व्यवस्था बनाये रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण  
 प्रतिष्ठानों के लिये होमगार्ड्स स्वयं-सेवकों ने उत्तराखण्ड के विभिन्न थाना एवं पुलिस चौकियों में  
 उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद उत्तराखण्ड में पुलिस बल की अत्याधिक कमी को

को सम्पन्न कराने में भी विशेष योगदान दिया है।  
 तथा ललितनगर के विधान सभा निर्वाचनों में अपनी दूरियों का निर्वहन किया तथा चुनाव दूरियों  
 के साथ बंगाला देश की लड़ाई में भाग लिया। होमगार्ड्स स्वयं-सेवकों ने आतंकवाद मुक्त पंजाब  
 सन 1971 में भारत-पाक युद्ध के अवसर पर होमगार्ड्स स्वयं-सेवकों ने सीमा सुरक्षा बल

आन्दोलनों के अवसर पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।  
 सहायक के रूप में मुख्य भूमिका निभा रहे वही दंडीआपदाओं, विभिन्न विभागों के हड़ताल एवं  
 अधीन कार्य करता रहा। होमगार्ड्स स्वयं-सेवकों ने शामिल व्यवस्था बनाये रखने में जहाँ पुलिस के  
 उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व होमगार्ड्स विभाग उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ के

**विश्लेषण :-**

- (क) वे लोक-कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ख) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिये, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेंगे।
- (ग) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपतों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे।
- (घ) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में कार्य करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे।
- (ङ) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपतों के समय लोक-समाज की सहायता करेंगे।

होमगार्ड्स अधिनियम की धारा 4 के अनुसार होमगार्ड्स के निम्न कर्तव्य हैं:-

होमगार्ड्स के कर्तव्य एवं कृत्य:-

संगठन की विश्लेषण, कृत्य और कर्तव्य

(2)

क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत संख्या			वर्तमान संख्या			रिक्त स्थान				
		शहरी पुरुष	ग्रामीण	योग	शहरी पुरुष	महिला	ग्रामीण	योग	शहरी पुरुष	महिला	ग्रामीण	योग
1.	कम्पनी कमाण्डर	04	01	05	10	03	01	05	9	01	0	01
2.	सहायक कमाण्डर	04	01	05	10	02	01	04	07	02	01	03
3.	प्लाटून कमाण्डर	12	03	15	30	10	03	10	23	02	05	07
4.	होमगार्ड्स	392	98	490	980	376	86	466	928	16	12	24
	योग	412	103	515	1030	391	91	485	967	21	12	30

होमगार्ड्स संगठन कम्पनी/प्लाटूनों में गठित है। एक कम्पनी में एक अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, एक सहायक कम्पनी कमाण्डर, तीन अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर तथा शेष होमगार्ड्स होते हैं। उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में प्लाटूनों तथा मैदानी जनपदों में कम्पनियों के आधार पर होमगार्ड्स की संरचना है। एक कम्पनी में कुल 103 होमगार्ड्स स्वयं सेवक होते हैं।

होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के गठन, प्रशिक्षण व कार्य संचालन हेतु होमगार्ड विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। जनपद हरिद्वार में 28 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 11 कार्मिक ही उपलब्ध हैं। जनपद में स्वीकृत तथा उपलब्ध कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त	अन्य विवरण
1	जिला कमाण्डेन्ट	1	1	0	—
2	वैतनिक निरीक्षक	1	0	1	—
3	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	4	2	2	01 वैत० प्ला० कमा० वर्तमान में निलम्बित एवं जनपद बागेश्वर से सम्बद्ध
4	बी०ओ०	5	1	4	01 बी०ओ० वर्तमान में निलम्बित एवं जनपद चम्पावत से सम्बद्ध
5	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	—
6	प्रधान सहायक	1	1	0	—
7	प्रवर सहायक	1	0	1	—
8	कनिष्ठ सहायक	1	1	0	अनधिकृत रूप से अनुपस्थित
9	हवलदार प्रशिक्षक	2	0	2	—
10	जीप चालक	1	1	0	निलम्बित
11	चतुर्थ श्रेणी	10	3	7	4 संविदा चतुर्थ श्रेणी
	योग—	28	11	17	—

नोट:- कार्यालय में 01 संविदा लिपिक कनिष्ठ सहायक के पद पर एवं 10 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के विरुद्ध 04 संविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपनल के माध्यम से कान्स्ट्रैक्ट बेस पर वर्तमान में तैनात हैं।

*Handwritten Signature*  
**DISTRICT COMMANDANT  
 BOMEGUARD'S HADHWAL**



**DISTRICT COMMANDANT  
HOMEGUARD'S HARDWAR**

*Handwritten signature*

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या बी-1-4-4739/एस - 1998  
दिनांक: 28 अक्टूबर, 1988 एवं होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र  
संख्या-2040/लेखा/एस-184/1992 दिनांक: 30-10-1098 के अनुसार जिला  
कमाण्डेंट, होमगार्ड्स का डी0डी0310 कोड नम्बर 2571 आवंटित है।

(ग) पद की शक्तियाँ से सम्बन्धित नियम/शासनादेश

आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य सम्पादित किया जाता है।  
(ख) वित्तीय शक्तियाँ :- जिला कमाण्डेंट द्वारा जनपद स्तर पर होमगार्ड संगठन के  
कार्यों को सम्पूर्ण कराने में जिला कमाण्डेंट के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं।  
इंडेन्ट व 10 वर्ग्वर्ष श्रेणी के कर्मियों के पद स्वीकृत हैं जो जनपद में होमगार्ड विभाग के  
प्रशिक्षक, 1 प्रशासनिक अधिकारी, 1 प्रधान सहायक, 1 प्रवर सहायक, 1 कनिष्ठ सहायक 1  
कमाण्डेंट के सहायक, 3 वैतनिक लाटून कमाण्डर, 5 ब्लाक ऑफिसर, 2 इन्वेंटरी,  
2- अन्य स्टाफ - उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर 1 वैतनिक निरीक्षक, 1 जिला  
प्रशिक्षारी भी हैं।  
हैं। ये अपने जनपद के लिपिक संघर्ष तथा वर्ग्वर्ष श्रेणी संघर्ष के कर्मियों के नियुक्ति  
कमाण्डेंट जिला प्रशिक्षण केंद्र के आहरण वितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करते  
अधिकारी अपने जनपद के कार्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय कमाण्डेंट कार्यालय तथा  
कराने तथा उनके ड्यूटी भत्ते के भुगतान दिाने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ये  
होमगार्ड्स स्वयं-सेवकों को भर्ती कराने, प्रशिक्षण दिाने, नियमानुसार ड्यूटी पर तैनात  
स्वीकृत हैं। जिला कमाण्डेंट अपने जनपद के होमगार्ड्स के नियुक्ति प्रशिक्षारी हैं। ये  
1- जिला कमाण्डेंट - जनपद स्तर पर जिला कमाण्डेंट संघर्ष का एक पद शासन से

(क) प्रशासनिक शक्तियाँ :-

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

संज्ञा-2

